इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

आंतरिक सूचना के उपयोग व नियंत्रण हेतु नीति

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक २९ सितम्बर २००९ को मीटिंग संख्या १/२००९ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से मतभेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेगा।

आंतरिक सूचना के उपयोग व नियंत्रण हेतु नीति

कंपनी की आंतरिक सूचना के उपयोग और नियंत्रण पर नीति:

1) कंपनी के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कम्पनी के कारोबार के संचालन के उद्देश्य के अलावा कंपनी की सभी सूचनाएं आन्तरिक उपयोग में एवं गोपनीय रखनी चाहिए;

2) कंपनी के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कंपनी की किसी गोपनीय और / या आंतरिक जानकारी का प्रकटीकरण अन्यत्र नहीं करना चाहिए; तथा

3) कंपनी के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कंपनी की गोपनीय और / या आंतरिक जानकारी का उपयोग करके प्रतिभूतिओं का लेन देन और / या किसी गोपनीय और / या आंतरिक जानकारी जिससे संभवतः कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंच सकता है, के आधार पर कोई अन्य लेन देन निषेध है। यह प्रावधान कंपनी के निदेशक, अधिकारी और कर्मचारियों के पत्नियों और नाबालिग बच्चों पर भी लागू होगा। नियमों के उल्लंघन को एक गंभीर अपराध माना जाएगा।

कंपनी के शेयरों को थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज ("एसईटी") में सूचीबद्ध होने के उपरांत कंपनी के निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक, सम्बंधित प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, लेखा परीक्षक, कर्मचारी या कंपनी के क्रय या विक्रय विभाग से सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कंपनी के शेयरों की खरीद या बेचने की पेशकश, बेचने या बेचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करना, कंपनी की ऐसी आंतरिक सूचना जोकि अभी सार्वजानिक नहीं की गयी है; का अपने कार्यालय या पद की स्थिति के आधार पर उपयोग करके कंपनी के शेयरों की कीमतों में होने वाले बदलावों से अपने अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाना अथवा इस तरह की कार्रवाई से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए गए उपरोक्त कार्यों में संलग्न व्यक्ति इन उल्लंघनों के परिणामस्वरूप आन्तरिक व्यापार के संबंध में लागू कानूनों के तहत उत्तरदायी होंगे।

कंपनी के संचालक, अधिकारी, प्रबंधक, सम्बंधित प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि कंपनी के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (यदि कोई हो) का अधिग्रहण करते हैं अथवा निपटाते हैं तो ऐसे अधिग्रहण अथवा निपटान की सूचना एसईसी अधिनियम **BE 2535** के अनुसार एसईसी को निर्दिष्ट समय में देनी होगी | कंपनी में प्रतिभूतियों के ऐसे अधिग्रहण अथवा निपटान में ऐसे व्यक्ति के अपने पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे द्वारा शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों (यदि कोई हो) की होल्डिंग भी शामिल है।